कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर
जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

Ph. 07775-266657, Email : pri.gdc.surajpur@gmail.com , Web:-www.govtcollegesurajpur.in

क्रमांक .... कन्या छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र (सत्र 20.........................) दिनांक ....

प्रार्थी का विवरण

वर्तमान का पासपोर्ट साइज कलर फोटो चस्पा करें।

01. छात्रा का पूरा नाम (हिंदी में) ....
    छात्रा का पूरा नाम (अंग्रेजी में) ....
02. पिता का नामः ....
03. माता का नाम : ....
04. जन्म तिथि (अंको में) : ....
05. किस कक्षा में प्रवेश लिया व क्रमांक : ....
06. विवाहित अथवा अविवाहित : ....
07. यदि छात्रावास में गत वर्षों में रह रहें हो तो उसका विवरण :–

क्रमांक	**सत्र**	**छात्रावास का नाम**
1.	....	....
2.	....	....
3.	....	....

08. (अ) महाविद्यालय में प्रवेश की रसीद पूर्ण विवरण–रसीद क्रं. .... **दिनांक** .... **राषि** ....
    (ब) जिस परीक्षा के आधार पर आगामी कक्षा में प्रवेश लिया है उसका विवरण– प्रमाण पत्र संलग्न करें।
    अंको का प्रतिषत .... श्रेणी ....वर्ष ....
09. जातिः 1. सामान्य .... 2. पिछड़ा वर्ग .... 3. अ.ज.जा. ....अ.जा.................
10. पिता का पूरा नाम एवं वार्षिक आमदनी ....
11. स्थायी पता ....जिला–............................
12. आधार नंबर .... **मोबाईल नंबर** ....
13. स्थायी पता (अनिवार्य) ....
14. स्थानीय अभिभावक का नाम पूर्ण पता ....
15. विद्यार्थी के संबंध ....

मैं घोषणा करती हूँ कि छात्रावास संबंधी सभी नियम व उपनियम तथा समय–समय पर प्राचार्य एवं अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देषों का मेरा पाल्य, पालन करूंगी एवं किसी नियम या उपनियम के उल्लंघन के कारण यदि उसे छात्रावास से निसकासित किया जाता है तो मुझे मान्य होगा–

पालक का हस्ताक्षर — **आवेदक का हस्ताक्षर**
दिनांक .... — **दिनांक ....**

छात्रावास में प्रवेश हेतु अनुषंसा की जाती है।

छात्रावास अधीक्षक
हस्ताक्षर एवं सील

छात्रावास लिपिक के लिए–

छात्रा .... कक्षा .... ने छात्रावास में प्रवेश हेतु रकम ....रसीद क्रं. .... दिनांक .... को जमा किया गया है।

प्राचार्य के आदेष–

आवेदक को उसके वचन पत्र एवं छात्रावास अधीक्षक की अनुषंसा के आधार पर सत्र 2024–25 के लिए छात्रावास में प्रवेश दिया गया है।

छात्रावास में प्रवेष प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को निम्न शुल्क महाविद्यालय के पास अग्रिम जमा करना होगा –

01.	छात्रावास के करमे का अधिभार (एक से अधिक)	10रू. प्रतिमाह
02.	एक सीट वाले कमरे का अधिभार	10रू. प्रतिमाह
03.	प्रवेष शुल्क **(केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार प्रवेष ले रहें हैं।)**	10रू. प्रतिमाह
04.	छात्रावास विकास राषि **(यह राषि छात्रावास के खेलकूद अध्ययन कक्ष एवं कार्यकलापों में खर्च होगी तथा बची हुई राषि छात्रावास के विकास में खर्च की जाएगी।)**	300 रू. (वार्षिक)
05.	छात्रावास निर्धन सहायता शुल्क	10 रू. (वार्षिक)
06.	छात्रावास फण्ड	10 रू. (वार्षिक)
07.	मेस प्रतिभूति राषि	2500 रू. प्रतिमाह
08.	छात्रावास शुल्क	2500 रू. (वार्षिक)
09.	अन्य आकास्मिक व्यय हेतु	1000 रू. (वार्षिक)
10.	विद्युत (सामग्री का समायोजन)	600 रू. (वार्षिक)

नोट–

01. मेस राषि 2500 रू. प्रतिमाह देय होगा माह चालू होने के पूर्व।

02. रू. 4000/– वार्षिक एक बार में देय होगा।

....
पिता एवं पालक के हस्ताक्षर

....
आवेदक के नाम एवं हस्ताक्षर

(डॉ. एच.एन. दुबे)
प्राचार्य
शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर
जिला–सूरजपुर छत्तीसगढ़

माँ कुदरगढ़ी फोटो कॉपी एण्ड ऑनलाईन, पता–तहसील के सामने कॉलेज रोड सूरजपुर, 7489740906

स्व–प्रमाणित महिला छात्रावास घोषणा पत्र/नियम

- पलक/अभिभावक, छात्रा से महिने के द्वितीय रविवार को ही मिल सकते हैं।
- संस्थान के छात्रावास में किसी एक छात्रा को पूरा कमरा नहीं दिया जाएगा। छात्राओं को अन्य छात्रा के साथ कमरे में रहना होगा। एक कमरे में 2 छात्राऐं एक साथ रहेंगी।
- भोजन भोजनालय कक्ष में ही करना होगा। भोजन कमरे में ले जाना पूर्णतः निषेध है और कोई भी छात्रा कमरे में भोजन, चाय आदि नहीं बनाएगा। भोजनालय के समय के अनुसार ही भोजन अनिवार्य है। भोजनालय कक्ष का कोई भी समान छात्रा बाहर नहीं ले जाऐंगें। इसकी अवहेलना करने पर अनुषासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- यदि कोई छात्रा–छात्रावास से बाहर जाये तो भोजनालय प्रतिनिधि एवं वार्डन को लिखित रूप से सूचित करें।
- छात्रावास में जन्मदिन या अन्य किसी प्रकार की पार्टी का आयोजन नहीं किया जाऐगा। उल्लघंन करने पर अनुषासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- सामान्यतः संक्रामक रोगग्रस्त छात्रा को प्रवेष नहीं दिया जाता है। प्रवेष के पष्चात् यदि किसी छात्रा को संक्रामक रोग होगा तो उसे संस्थान के छात्रावास से घर जाना होगा।
- अध्ययन के अतिरिक्त छात्रावास से बाहर जाते समय और आते समय छात्रा को छात्रावास गेट पर रखे रजिस्टर में चूसना दर्ज करनी होगी और हस्ताक्षर करने होगें।
- छात्रावास या संस्था के परिसरों में मादक वस्तुओं का उपयोग निषेध है।
- किसी छात्रा का चरित्र तथा व्यवहार असंतोषजनक पाए जाने पर उसे छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।
- बाहर की कोई भी छात्राऐं छात्रावास में अतिथि के रूप में नहीं रह सकती।
- वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना कोई छात्रा कमरा और प्रदत्त सामग्री एक दूसरे से नहीं बदल सकती।
- यदि कोई छात्रा संस्थान एवं छात्रावास की सामग्री को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाएगा, तो उसे उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी।
- बल्ब सत्र के आरम्भ में एक बार दिये जायेंगे। यदि बल्ब एल.ई.डी. फ्यूज होता है तो उसकी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। पूनः लगाए गये बल्बों एल.ई.डी. का वॉल्टेज एवं प्रदत्त बल्बों के वॉल्टेज के समान ही होना चाहिए।
- कमरों मे लगे विद्युत उपकरणों के अलावा अन्य किसी विद्युत उपकरण (तापक/हीटर/केटल) का प्रयोग दंडनीय अपराध समझा जायेगा।
- छात्रावास में किसी प्रकार के स्ओव का प्रयोग करना निषेध है। यदि कमरे में स्ओव/हीटर पया गया तो छात्राऐं को दंडित किया जाएगा और उसका स्ओव/हीटर भी जब्त कर लिया जायेगा एवं छात्रा का छात्रावास में निष्कासन भी किया जा सकता है।
- छात्रावास में वार्डन प्रत्येग तल के नायकों की नियुक्ति करेंगे। नायक अन्य छात्राएं की सहायता से छात्रावास की देखभाल वार्डन के निर्देषानुसार करेंगे।
- छात्रावास के कार्य के लिए छात्रावास सहायक और छात्रावास परिचारकों की व्यवस्था है, जिनके कर्तव्य प्राचार्य/वार्डन द्वारा निष्चित किये गये है।
- छात्रावास में प्रतिदिन रात्रि को निर्धारित समय पर वार्डन अथवा अन्य छात्रा प्रतिनितिध द्वारा उपस्थिति ली जाऐगी। इस समय छात्राएं अपनी कठिनाइयाँ लिखित रूप मे वार्डन को दे सकते हैं।
- छात्राओं को छात्रावास के संबंध में कोई षिकायत हो तो लिखित रूप में वार्डन को दें। लिखित षिकायत पर ही कार्यवाही की जा सकेगी।
- कोई भी छात्रा अतिथि अथवा परिवार के अन्य सदस्यों को छात्रावास में अपने साथ नहीं रख सकती।

- कोई भी छात्रा अपने साथ कीमती वस्तु आभूषण इत्यादि लेकर न आए।
- छात्रावास में सभी अपने सामान/धनराषि की सुरक्षा स्वयं करेंगे।
- शौच एवं स्नान के बाद स्नानागार एवं शौचालयों के नलों को बंद करना होगा।
- छात्राओं को पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद अधिक से अधिक तीन दिनों तक छात्रावास में रहने की अनुमति दी जाएगी। अति आवष्यक होने पर अधिक दिनों के लिए प्राचार्य/छात्रावास अधीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी। संत्रात के बाद भोजनलाय में भोजन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। भोजन की थाली स्वयं छात्रा को साफ करनी होगी।
- छात्रावास में साफ–सफाई का विषेष ध्यान रखेंगे एवं कूडा इधर–उधर न फेंकर कुडेदान का प्रयोग करेंगे।
- छात्रावास में जो भी सामान छात्रा को दिया जायेगा उनको वापस करना होगा।
- छात्रावास में छात्राएं लड़ाई–झगड़ा नहीं करेंगी न ही कोई वाद–विवाद करेंगी। छात्रावास में छात्राएं किसी भी प्रकार का शोर–षराबा नहीं करेंगी।
- छात्रावास में छात्राएं कोविड–19 के नियमों का पालन निष्ठापूर्वक करेंगी।
- आश्वयकतानुसार छात्रावास में प्राचार्य/मुख्य वार्डन सहायक वार्डन किसी भी छात्रा के का निरीक्षण किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। छात्रावास में रहने वाले सभी छात्राओं को उपर्युक्त सभी नियमों का पालन अनिवार्य है। जो छात्राऐं उपर्युक्त नियमों का पालन नहीं करेंगी, उसको संस्थान और छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।
- यदि छात्रा अन्य किसी गतिविधि में पकड़ी जाती है तो उसको छात्रावास से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जा सकता है।
- छात्राओं को स्थानीय अभिभावकों के पास आने–जाने के लिए माता–पिता की अनुमति की आवष्यकता होगी।
- नियमित समय पर भोजन करना अनिवार्य होगा। भोजन समय से पहले या समय के बाद मेस कार्य में बाधा न डाले।
- हास्टल खाली करने समय 1 माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।
- कमरे के अनुसार निर्धारित हॉस्टल शुल्क माह के 10 तारीख तक जमा करना अनिवार्य है अन्यथा 100 रू. विलंब के साथ देय होगा।
- कमरे से निकलते समय पंखे एवं लाईट को बंद करना अनिवार्य होगा। हॉस्टल में प्रवेष लेने के बाद किसी भी स्थिति में राषि वापस नहीं होगा।
- रैगिंग करना दंडनीय अपराध है इसमें संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही किया जायेगा।

मैं .... पिता .... घोषणा करती हूँ कि मैंने संस्थान के छात्रावास नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और मैं छात्रावास नियमों का पूर्णतः पालन करूंगी। यदि मेरे द्वारा छात्रावास नियमों का उल्लघंन किया जाता है तो छात्रावास समिति द्वारा मेरे ऊपर की गयी कार्यवाही मुझे मुझे होगी। छात्रावास/संस्था परिसर के बाहर आउटिंग/गृह प्रस्थान के दौरान यदि कोई घटना होती है तो मैं उसकी स्वयं जिम्मेदार रहूँगी।

दिनांक ....

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**
छात्रा का नाम	पिता का नाम..
छात्रा का कक्षा	मो. नंबर ....
मो. नंबर	पता ....

TiteniumGroup